

NHB(ND)/ROD/RRB/Refinance Circular 8/2014-15  
Dated : 30-04-2015 ✓



To All Regional Rural Banks

Madam / Sir,

**Refinance Circular No. 8/2014-15  
Rural Housing Fund - Interest Rate**

1. The interest rate on refinance extended under the Rural Housing Fund (RHF) has been revised with immediate effect. The revised rate and on-lending cap, which shall be applicable on all refinance disbursements made under the Rural Housing Fund on or after the date of this circular, are as under :

Loan Size	Interest Rate on Refinance	On-lending Cap
Upto ₹15 lakhs	6.87% p.a.	8.87% p.a.

Accordingly, the Regional Rural Banks are advised to ensure that for all refinance claims made under the Rural Housing Fund on or after the date of this Circular, only those loans are included where the on-lending rate to the borrower(s) does not exceed 8.87% p.a.

2. All other terms and conditions under the Rural Housing Fund refinance scheme as applicable to Regional Rural Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)  
Deputy General Manager  
Refinance Operations

एनएचबी (एनडी)/आरओडी/आरआरबी/पुनर्वित्त परिपत्र 8/2014-15  
दिनांक : 30-04-2015

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को

महोदया / महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं० 8/2014-15

ग्रामीण आवास निधि - ब्याज दर

1. ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के तहत प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर तत्काल प्रभाव से संशोधित की गयी है। इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात ग्रामीण आवास निधि के तहत सभी पुनर्वित्त संवितरणों पर लागू होने वाली संशोधित दर तथा ऋण दर की उपरि सीमा निम्नानुसार है :

ऋण राशि	पुनर्वित्त पर ब्याज दर	ऋण दर की उपरि सीमा
₹15 लाख तक	6.87% प्रतिवर्ष	8.87% प्रतिवर्ष

2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात ग्रामीण आवास निधि के तहत किये गए सभी पुनर्वित्त दावों हेतु केवल वे ऋण समाविष्ट किये गए हैं जिनमें उधारकर्ता(ओं) को ऋण दर 8.87% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।
3. ग्रामीण आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यथा लागू और समय समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(वी० वैदीश्वरण)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन